जोधपुर, 25 अप्रैल।

शहर के हरिओम नगर में राजकीय भुमि एवं आम रास्ते पर अतिक्रमण करने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए महापौर घनश्याम ओझा नें निगम आयुक्त को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। महापौर ओझा ने एक यूओ नोट जारी कर लिखा है कि दीपक सेठिया ने एक शिकायत पेश की है कि हरिओम नगर के भूखंड संख्या 23,24 और 25 के पीछे राजकीय भुमि तथा रास्ते पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से चार दीवारी का निर्माण करवाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि पूर्व में भी इस स्थान पर हुए अतिक्रमण को निगम की ओर से ध्वस्त किया गया था। महापौर ओझा ने आयुक्त को निर्देशित किया है कि यदि यह भुखंड स्वतंत्र रूप से नीलामी योग्य हो तो उसकी जल्द से जल्द से नीलामी की कार्यवाही की जावे और यदि भूखंड को स्वतंत्र रूप से नीलाम किया जाना संभव नही हो तो भूखंड संख्या 23,24 और 25 के भूखंडधारियों को आवेदन के अनुरूप भू पट्टी आवंटन की कार्यवाही की जाए।

जोधपुर, 25 अप्रैल।

निगम महापौर ने भू उपयोग परिवर्तन, भवन निर्माण अनुमति तथा खांचा भुमि आवंटन के प्रकरण लंबे समय से लम्बित मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए है। महापौर घनश्याम ओझा ने आयुक्त को एक यूओ नोट जारी कर कहा है कि भू उपयोग परिवर्तन, भवन निर्माण अनुमति और खांचा भुमि आवंटन के प्रकरण लंबे समय से लम्बित चल रहे है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि 30 जून 2017 से पहले 3 माह से अधिक पुराने समस्त प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाए। महापौर ओझा ने कहा है कि यदि आवश्यकता हो तो हर माह में कमेटी की 2 बैठक भी आयोजित की जाए। महापौर ओझा ने 01 जुलाई 2017 को 3 माह से अधिक पुराने प्रकरण बकाया रहने पर संबंधित के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने के भी निर्देश दिए है।